



बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाइज कॉरपोरेशन लि०,

“खाद्य भवन”, दारोगा प्रसाद राय पथ, आर० ब्लॉक, रोड नं०-२, पटना-८००००१

कार्यालय आदेश

श्री विश्वनाथ कुमार, सहायक प्रबंधक, टी०पी०डी०एस० गोदाम, कहरा राज्य खाद्य निगम, सहरसा के विरुद्ध जन वितरण प्रणाली बिक्रेता के साथ अवैध क्रिया कलाप संबंधित आरोप प्रतिवेदित होने के पश्चात् प्रशासनिक दृष्टिकोण से श्री कुमार को अन्तर जिला स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए राज्य खाद्य निगम, टी०पी०डी०एस० गोदाम, बिस्फी, मधुबनी में पदस्थापित किया जाता है। चूंकि इनका स्थानान्तरण प्रशासनिक दृष्टिकोण से हुआ है, इसलिए श्री कुमार को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

प्रबंध निदेशक के आदेश से।


ह०/-

उप महाप्रबंधक प्रशासन।

ज्ञापांक:-३:०२:५८:०१:२०१८-२४०९

दिनांक:- २०/३/१८

प्रतिलिपि:-सभी मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक/सतर्कता शाखा/गोपनीय शाखा, निगम मुख्यालय,पटना को एवं जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, सहरसा/मधुबनी एवं श्री विश्वनाथ कुमार, सहायक प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। जिला प्रबंधक, सहरसा को निदेश है कि वैकल्पिक व्यवस्था कर श्री कुमार का प्रभार अन्य कर्मचारी को दिलाते हुए स्थानांतरित जिला में योगदान हेतु तीन दिनों के अंदर विरमित करेंगे।


उप महाप्रबंधक प्रशासन।